



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2016/आषाढ 13, 1938

No. 456]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2016/ ASADHA 13, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 659(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली-110001 उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2016 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियम कहा गया है) नियम 12 में, उपनियम (1-ग) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु सड़क पर चालन के यान सवारी मार्ग पर चेसिस, जब-जब और कहीं भी स्वयं शक्ति का उपयोग के लिए इसके स्वयं चक्र द्वारा इस केवल उपनियम लागू है तथा उन सवारी मार्ग के चेसिस पर लागू नहीं होगा जो ट्रेलरों या परिवहन के अन्य ढंग द्वारा परिवहित किया जाता है ।"

[सं. आरटी-11036/26 /2015 -एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार सा.का.नि. सं. (अ), तारीख द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th July, 2016

G.S.R. 659(E).— The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred under sections 41 and 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published, as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the notification is published are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period as specified will be considered by the Central Government.

The objections or suggestions, if any, to these draft rules may be addressed to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, New Delhi 110001, within the period, specified above.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (____Amendment) Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereafter referred as the said rules), in rule 125, in sub-rule (1-C), the following provisio shall be inserted, namely:-

“Provided that this sub-rule is applicable only to those drive away chassis vehicles driven on road, whenever and wherever, by its own wheels using own power and not applicable to those drive away chassis vehicles that are transported upon trailers or by any other mode of transportation.”.

[No. RT-11036/26/2015-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published *vide* number G.S.R. 590 (E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* number G.S.R.,_____, dated _____.